



Manki Munda Scholarship Scheme



| Incentivising Female Enrollment in Higher Education |

Key Features of the Scheme



- **Rs 15,000/ year** to students enrolled in the Diploma Level Program in any Polytechnic affiliated to Jharkhand University of Technology
- **Rs 30,000/ year** to students enrolled in B.E./ B.Tech in Engineering Colleges affiliated to Jharkhand University of Technology
- Scholarship transferred annually through the DBT in the Aadhar-seeded Bank Account

Eligibility for the Scheme

- The applicant should be female
- The family income of the applicant should not be more than Rs. 8 Lakhs
- The applicant should not have any Back Papers and should have minimum 50% marks in all previous semesters during the course of her study
- The applicant must have secured admission or be pursuing full time course in Engineering or Polytechnic Colleges affiliated with the Jharkhand University of Technology, Ranchi
- The applicant should not be a prior recipient of any Central/State Government Scheme or AICTE Tuition Fee waiver Scheme

List of Documents Required



- Local Residence Certificate of Jharkhand
- Caste Certificate: For students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes-I and Backward Classes-II
- Disability Certificate: In case of Divyangjan Applicants
- Course Registration Certificate and marksheets of all semesters till date
- Family Income Certificate issued by competent authority

Application Process

The applicant should fill out the application form from the link and submit all the required documents

After the application is verified by the Institute, it is forwarded to the Jharkhand University of Technology for its approval.

Application Form

01

Verification by JUT

02

03

04

Institute Verification

The application is forwarded to the selected Institute which would verify the details filled by the applicant

Disbursement of Scholarship

Scholarship Payment made directly into the Aadhar-seeded Bank Account of the applicant

Link to Apply

scholarshipsdhte.jharkhand.gov.in/manki-munda-scheme





मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना



| उच्च शिक्षा में महिला नामांकन को प्रोत्साहन देना |

योजना की प्रमुख विशेषताएँ



- किसी भी पॉलिटेक्निक में, जो झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को ₹15,000 प्रति वर्ष।
- झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी.ई./बी.टेक में नामांकित छात्रों को ₹30,000 प्रति वर्ष।
- छात्रवृत्ति की राशि आधार-सीडेड बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से वार्षिक रूप से हस्तांतरित की जाएगी।

योजना के लिए पात्रता



- आवेदक महिला होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के किसी भी सेमेस्टर में बैंक पेपर नहीं होने चाहिए तथा अध्ययन अवधि के दौरान सभी पूर्व सेमेस्टर्स में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।
- आवेदक ने झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची से संबद्ध इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो या अध्ययनरत हो।
- आवेदक किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार की योजना या एआईसीटीई ट्यूशन शुल्क माफी योजना की पूर्व लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची



- झारखंड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II के छात्रों के लिए।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र: दिव्यांग आवेदकों के मामले में।
- पाठ्यक्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अब तक के सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएँ।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदक को दिए गए लिंक से आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

संस्थान द्वारा सत्यापन के बाद आवेदन को अनुमोदन हेतु झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भेजा जाएगा।

आवेदन पत्र

01

झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन

02

03

04

संस्थान द्वारा सत्यापन

आवेदन संबंधित संस्थान को भेजा जाएगा, जहाँ आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी का सत्यापन किया जाएगा।

छात्रवृत्ति वितरण

छात्रवृत्ति की राशि सीधे आवेदक के आधार-सीडेड बैंक खाते में जमा की जाएगी।

आवेदन करने का लिंक

scholarshipsdhte.jharkhand.gov.in/manki-munda-scheme



उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
झारखंड सरकार